12/01/26

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश
हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०।
पत्रावली का अध्ययन किया गया।
प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया
जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से
लिखा जाकर शामिल किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर
हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

<u>राजस्थान सरकार</u>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपूतली– बहरोड राज0

पीठासीन अधिकारी – रामकिशोर मीणा – ।।
(R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
61 / 2025	12 / 09 / 2025	12 / 01 / 2026

1. उमीर सिंह पुत्र श्री मुरली, जाति अहीर, निवासी भूपखेडा, तहसील बहरोड जिला कोटपूतली– बहरोड राज०।

—— प्रार्थी

/ / बनाम / /

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बहरोड जिला कोटपूतली– बहरोड राज०।

—— अप्रार्थी

<u>प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट 1956</u>
उपस्थित – श्री आर0डी0 दाचाणिया वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है प्रार्थी उमीर सिंह द्वारा धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि ग्राम गण्डाला व ग्राम भूपसेडा तहसील बहरोड जिला कोटपूतली– बहरोड राज0 स्थित उसकी कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों में उसके नाम व पिता के नाम में विभिन्न प्रविष्टियों में त्रुटियाँ अंकित हो गई हैं, जैसे कहीं हमीर सिंह, कहीं अमर सिंह, कहीं उमीर तथा पिता का नाम मुरली के स्थान पर मुरलीधर अंकित है, जो कि वास्तविकता के विपरीत है एवं दुरुस्ती योग्य है। प्रार्थी ने यह भी अवगत कराया कि उसके आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, विद्यालय की टी. सी., पैन कार्ड, जनआधार, भामाशाह कार्ड आदि समस्त दस्तावेजों में उसका सही

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)

नाम उमीर सिंह पुत्र मुरली दर्ज है तथा केवल कुछ राजस्व अभिलेखों में ही उक्त त्रुटियाँ पाई जाती हैं। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रिकार्ड कर अप्रार्थीगण को द्वारा सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में पैरोकार सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब में बिंदुवार जिमन न. 1 से 9 तक प्रार्थी को स्वयं सिद्ध करने हेतु कहा गया है तथा जिमन न. 10 को कानूनी बताया गया है। साथ ही, साक्षी रिंकू पुत्र अशोक कुमार एवं साक्षी राजपाल यादव पुत्र अमर सिंह जातियान अहीर निवासियान ग्राम भूपसेडा तहसील बहरोड द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उमीर सिंह, हमीर सिंह, अमर सिंह व उमीर सभी एक ही व्यक्ति हैं एवं कोई पृथक व्यक्ति नहीं है तथा संबंधित भूमि उमीर सिंह की ही है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल हाल जमाबन्दी , परिवार राशन कार्ड , आधार कार्ड बैंक की पास बुक पैन कार्ड आदि पेश किये है।

हमने प्रार्थी के वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी वकील का कथन है कि प्रार्थी की उसकी कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों में उसके नाम व पिता के नाम में विभिन्न प्रविष्टियों में त्रुटियाँ अंकित हो गई हैं, जैसे कहीं हमीर सिंह, कहीं अमर सिंह, कहीं उमीर तथा पिता का नाम मुरली के स्थान पर मुरलीधर अंकित है, जो कि वास्तविकता के विपरीत है एवं दुरुस्ती योग्य है। प्रकरण की पत्रावली, प्रस्तुत साक्ष्य, शपथ पत्र तथा तर्कों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम उमीर सिंह पुत्र मुरली है तथा विभिन्न स्थानों पर राजस्व अभिलेखों में नाम व पिता के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ हुई हैं। यह त्रुटियाँ मात्र लिपिकीय/लेखन त्रुटि की श्रेणी में आती हैं तथा इनके दुरुस्त किए जाने से किसी भी प्रकार से राज्य सरकार अथवा किसी तृतीय पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों में ऐसी त्रुटियों का संशोधन न्यायोचित एवं विधिसंगत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

– : आदेश : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. का. अधि. बाबत आराजी खसरा नम्बर 2156 वाके ग्राम गण्डाला की हाल जमाबंदी में हमीर सिंह पुत्र मुरलीधर का नाम दुरूस्त कर उमीर सिंह पुत्र मुरली दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 2084 व 2085 वाके ग्राम गण्डाला की हाल जमाबंदी से अमीर सिंह पुत्र मुरलीधर का नाम दुरूस्त कर उमीर सिंह पुत्र मुरली दर्ज किया जावे तथा आराजी खसरा नम्बर 147, 143 व 144 वाके ग्राम भूपसेडा की हाल जमाबंदी से अमीर सिंह पुत्र मुरलीधर का नाम दुरूस्त कर उमीर सिंह पुत्र मुरली दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 155, 157, 307, 228 व 99 वाके ग्राम भूपसेडा की हाल जमाबंदी से उमीर पुत्र मुरली का नाम दुरूस्त कर उमीर सिंह पुत्र मुरली दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 101, 102, 127, 308 व 617 वाके ग्राम भूपखेडा की हाल जमाबंदी से उमीर सिंह पुत्र मुरलीधर के स्थान पर उमीर सिंह पुत्र मुरली दर्ज किया जावे।

तहसीलदार एवं संबंधित पटवारी को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की अनुपालना में नियमानुसार राजस्व अभिलेखो में संशोधन कर प्रमाणित प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति अनुपालनार्थ तहसीलदार बहरोड / नायब तहसीलदार गण्डाला को प्रेषित की जावे।

आज दिनांक 12/01/2026 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामकिशोर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड जिला कोटपूतली– बहरोड राज0